

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 529/10

संस्थापित दिनांक 23/08/10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

बाबू पुत्र गुन्धारी मेहतर उम्र— 50 साल
निवासी लक्ष्मण तलैया गोहद हाल लोढी
माता के मंदिर के पास मालनपुर जिला
भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक को घोषित किया)

1. आरोपी पर धारा 25(1बी)ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी बाबू दिनांक 10/06/10 पुलिस की गश्त के दौरान गोलम्बर चौराहा महावीर के मकान के सामने एक 315बोर का कट्टा जिसमें एक जिन्दा कारतूस लगा हुआ था, को अवैध रूप से बिना लाइसेन्स के अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया गया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/6/10 दौरान कस्बा भ्रमण गंज मोहल्ला गोहद में पुलिस को जर्गे मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद पाजामा, शर्ट हरी सफेद धारीदार पहिने हुए एक कट्टा लिए हुए गोलम्बर चौराहा महावीर के मकान के सामने खड़ा है सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचने पर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा जिसको घेरकर पकड़ने पर उसकी जामा तलाशी लेने पर उसकी कमर में दाहिनी तरफ एक कट्टा 315बोर का मिला जिसमें एक जिन्दा कारतूस लगा हुआ था। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबू पुत्र गुन्धारी मेहतर निवासी मालनपुर का बताया तथा कट्टे का लाइसेन्स पूछने पर उसने न होना बताया।

3. पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 119/10 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा साक्षी ठाकुरदास, अनिल कुमार व आर0 उदय के कथन लेखबद्ध किए गए तथा कट्टा व कारतूस को जब्त कर जिला दण्डाधिकारी महोदय भिण्ड से आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गयी तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 25(1बी)ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

5. प्रकरण में आरोपी को द0प्र0स0 की धारा 313 के तहत परीक्षा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर आरोपी ने अपने बचाव में बचाव साक्ष्य न देते हुये यह व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैंकि:-

1. क्या आरोपी एक 315बोर के कट्टा व कारतूस को अवैध रूप से बिना लाइसेन्स के अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया गया ?

सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में ठाकुरदास आ0सा01, अनिलकुमार आ0सा02, सुरेशदुबे आ0सा03, योगेन्द्रसिंह कुशवाह आ0सा04, प्रकाशसिंह भदौरिया आ0सा05, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

8. ठाकुरदास आ0सा01 यह साक्षी जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी है। इस साक्षी का कहना हैकि घटनाके दिन व पुलिस के साथ गया था। एक व्यक्ति की पुलिस ने तलाशी ली थी जिससे कट्टा व कारतूस जप्त हुआ था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। जप्ती पंचनामा प्र0पी01 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है जबकि गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके सामने नहीं हुई थी। गोलम्बर पर कोई कट्टा उसके सामने जप्त नहीं हुआ था थाने पर ही जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई थी साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैकि पुलिस गोहद के द्वारा आरोपी बाबू सिंह को गोलम्बर चौराहा पर गिरफ्तारी कर उससे कट्टे की जप्ती की कार्यवाही

की थी। साक्षी के कथनों से गिरफ्तारी व जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है।

9. अनिल कुशवाह आ0सा02 यह साक्षी जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी है। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी01 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हुये। शेष घटनाक्रम से अनभिज्ञता जाहिर की है साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि साक्षी से पुलिस ने जप्ती व गिरफ्तारी पंचनामा पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी के कथनों से जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है।

10. सुरेश दुबे आ0सा03 का कहना है कि दिनांक 24/7/10 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमारर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना गोहद के [अप0क0119/10](#) धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में एक 315 वोर का कटटा व एक 315 वोर का राउण्ड की जांच उसके द्वारा की गई थी। कटटा चालू हालत में था और कटटे से फायर किया जा सकता था। एक 315 वोर का राउण्ड जिंदा हालत में था कटटा व राउण्ड शीलबंद हालत में प्राप्त हुआ था। व शील बंद की जांच उपरांत वापिस किया था उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी जो प्र0पी05 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि पुलिस के द्वारा जो कटटा जांच हेतु पेश किया है उसकी जांच उसके द्वारा की गई है।

11. योगेन्द्र सिंह कुशवाह आ0सा04 का कहना है कि दिनांक 29/7/10 को जिला दंडाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक [549/10](#) दिनांक 29/7/10 थाना गोहद के [अप0क0119/10](#) से संबंधित एफ0आइ0आर व जप्ती पंचनामा व कैस डायरी शील बंद आरक्षक रामकुमार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात जिला दंडाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन द्वारा आरोपी बाबू पुत्र गुन्धारी के कब्जे से एक देशी हाथ का बना हुआ कटटा 315 वोर का व एक राउण्ड जिंदा 315 वोर का अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जो प्र0पी06 की है जिसके एसेए भाग पर तत्कालीन दंडाधिकारी श्री रघुराजराजेन्द्रन व बी से बी भाग पर प्रभारी अधिकारी व सी से सी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कैस डायरी अभियोजन स्वीकृति हेतु पेश किये जाने पर जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है।

12. प्रकाश सिंह भदौरिया आ0सा05 के द्वारा प्रकरण में जप्ती व

गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। इस साक्षी का कहना है कि दिनांक 10/6/10 को थाना गोहद में ए0एस0आई के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को ही मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने पास 315 वोर का कटटा मय राउण्ड के रखे हुये है। इस सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार पहुचकर एक व्यक्ति को पकडा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबू मेहतर निवासी लोधी माता का मंदिर मालनपुर का बताया उसकी जामा तलाशी ली तो एक कटटा 315 वोर का व एक राउण्ड जिंदा मिला जो अवैध होने पर उसे जप्त किया तथा उसकी गिरफ्तारी की जप्ती पंचनामा प्र0पी01 का है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 का है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साथ ही ठाकुरदास, अनिल कुमार, आरक्षक 945 उदयभानसिंह, के कथन उसके बताये अनुसार लिये थे। थाना वापसी पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र0पी07 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

13. प्रकाश सिंह भदौरिया आ0सा05के प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह पूछा गया कि ठाकुरदास आ0सा01, व अनिल आ0सा02, के समक्ष जप्ती व गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया है। साक्षी को यह भी सुझाव दिया गया कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लिख लिये है। जिसे भी साक्षी ने अस्वीकार किया है। शेष साक्षी के कथनों में किसी प्रकार की कोई सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई।

14. प्रकरण में जप्ती व गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी ठाकुरदास आ0सा01, अनिल आ0सा02, ने जप्ती व गिरफ्तारी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अब जप्ती व गिरफ्तारी का एक मात्र साक्षी प्रकाश सिंह भदौरिया है। जो पुलिस का कर्मचारी होकर उसके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की है। घटना के स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है। घटना के स्वतंत्र साक्षियों से जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई। प्रकाश सिंह भदौरिया द्वारा अनुसंधान की कार्यवाही की है लेकिन घटना के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा उसको किसी प्रकार का कथन देने से इंकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। इससे घटित घटना संदेहजनक हो जाती है और संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

15. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आरोपित आरोप आयुध अधिनियम की धारा 25.1बीए के अपराध में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुये उक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा एक कटटा व कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकार भिण्ड की ओर भेजा जावे।

17. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील/याचिका दायर की जाती है और माननीय अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो आरोपी माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उप0 रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0केतहत 10हजार रुपये की जमानत प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड